उत्तर प्रदेश में विकेन्द्रित नियोजन प्रणाली

उत्तर प्रदेश में विकेन्द्रित नियोजन प्रणाली की नवीन व्यवस्था वर्ष 1982-83 से लागू की गई है, ताकि विशिष्ट स्थानीय क्षेत्रीय आकांक्षाओं तथा आवश्यकताओं परयोजना बनाते समय अधिक विस्तार से ध्यान दिया जा सके और उनकी पूर्ति के लिये उपयुक्त उपाय किये जा सके। विकेन्द्रित नियोजन प्रणाली के अन्तर्गत जिला स्तर पर सार्थक योजनाओं का अभिज्ञान, योजनाओं का निर्माण, कार्यान्वयन, सूचना एवं अनुश्रवण में स्थानीय अधिकारियों तथा लाभार्थियों के सक्रिय सहयोग की परिकल्पना की गई है। साथ ही जिले की मूलभूत आवश्यकताओं का गहन अध्ययन कर, क्षेत्र के लोगों का सहयोग प्राप्त कर, सम्बंधित नीति विषयक निर्णय लिया जा सकें। इस प्रणाली के अर्न्तगत जनपदों को एक निर्धारित फार्मूला, जिसमें जनपदों की जनसंख्या के साथ साथ उसके विकास के स्तर को भी यथोचित भार (वेटेज) दिया गया है, के आधार पर जिला योजना संरचना हेतु परिव्यय का आवंटन किया जाता है।

उल्लेखनीय है कि जिस प्रकार प्रदेश के भीतर अर्न्तजनपदीय विषमताएं है, उसी प्रकार जनपदों के अन्दर विभिन्न क्षेत्रो/ विकास खण्डों के विकास स्तर तथा उनमें उपलब्ध सुविधाओं में भी स्पष्ट रूप से विषमताएं उभरकर आती है। वर्णित स्थिति में इस नवीन प्रक्रिया का उददेश्य यह है कि परिव्यय आवंटन करते समय जनपदों के पिछडेपन को वरियता देकर अर्न्तजनपदीय विषमताओं को ही कम करना नहीं अपितु जनपदों के भीतर जिला सेक्टर परिव्यय का इस प्रकार उपयोग किया जाये कि परिव्यय से सृजित किये जाने वाले विभिन्न सेवाओं/सुविधाओं के फैलाव और स्थान इस प्रकार तय किये जाये, जिससे अपेक्षाकृत पिछड़े विकास खण्डों को वरीयता मिले और अर्न्तजनपदीय विषमतायें भी कम हो सके।

विकेन्द्रित नियोजन प्रणाली के सफल कार्यान्वयन हेतु जिला/मण्डल स्तर पर स्थानीय अधिकारियों एवं जनपद के जनप्रतिनिधियों को इस प्रणाली से निम्न प्रकार सम्बद्ध किया गया है:-

जिला स्तरीय समितियां

प्रत्येक जनपद में राज्य मंत्रि-मण्डल के सदस्य की अध्यक्षता में **जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति** का गठन किया गया है। यह समिति विकास के मामलों में जिला स्तर पर सर्वोच्च समिति के रूप में कार्य करती है। अनुश्रवण के

आधार पर जहां समिति के अध्यक्ष उचित समझेगें, वांछित जांच के आदेश देने के अधिकार भी इसमें प्रदत्त हैं। समिति का संगठन एवं कर्तव्य निम्नवत है:-

समिति का संगठन

1-	मंत्रि-मण्डल के सदस्य	अध्यक्ष
2-	जिला परिषद के अध्यक्ष	उपाध्यक्ष
3-	जिले के समस्त संसद सदस्य	सदस्य
4-	जिले के समस्त विधान सभा सदस्य	सदस्य
5-	जिले के समस्त विधान परिषद सदस्य	सदस्य
6-	जिलाधिकारी	सदस्य
7-	मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य सचिव
8-	अन्य जिला स्तरीय अधिकारी को आवश्यकतानुसार बुलाया जा सकता है।	

समिति के कर्तव्य

1- राज्य सरकार द्वारा प्रसारित मार्ग निर्देशिकाओं और जनपद को आवंटित परिव्यय को ध्यान में रखते हुए जिला योजना समन्वय एवं कार्यान्वयन समिति द्वारा प्रस्तावित जनपद की वार्षिक योजना के प्रालेख्य को जिला स्तर पर अन्तिम रूप देना,

2- जनपद की समस्त योजनाओं का, जो जिला सैक्टर में हो अथवा राज्य सेक्टर में हो का प्रत्येक तीन मास में एक बार अनुश्रवण करना,

3- जिले के विभागीय परिव्ययों को राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर प्रसारित मानकों के आधार पर विभिन्न विकास खण्डों में वितरित करना, जिससे विभिन्न विकास खण्डों की असमानताओं को समाप्त किया जा सके,

4- प्रत्येक विभाग के विभागीय अधिकारियों से आवश्यकतानुसार सामयिक सूचनायें प्राप्त करना।

प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक **जिला योजना समन्वय एवं कार्यान्वयन समिति** का गठन किया गया है। यह समिति जनपद की योजना की संरचना, राज्य सरकार के मार्ग निर्देश एवं जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के निर्देशानुसार कार्य करती है एवं जिला योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी बनायी गई है। इस समिति का संगठन एवं कर्तव्य निम्नवत है:-

समिति का संगठन

1-	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2-	मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य सचिव
3-	जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी	संयुक्त सचिव
4-	जिला स्तरीय समस्त विकास विभागों के अधिकारीसदस्य	

समिति के कर्तव्य

1- राज्य सरकार द्वारा प्रसारित मार्ग-निर्देशिकाओं और जनपद के परिव्यय को ध्यान में रखते हुए जनपद के लिये वार्षिक तथा पंचवर्षीय योजनाओं के प्रारूप को तैयार करना।

2- जिला योजनाओं की प्रगति की प्रतिमास समीक्षा करना।

3- समीक्षा के आधार पर पुनर्विनियोग का प्रस्ताव जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के विचारार्थ प्रेषित करना।

जिला योजना समन्वय एवं कार्यान्वयन समिति की कार्यकारिणी

जिला योजना समन्वय एवं कार्यान्वयन समिति की एक कार्यकारिणी समिति है, जिसे प्रायोजना रचना एवं आवंटन समिति के नाम से पुकारा जाता है। इस समिति का संगठन निम्न प्रकार है:-

समिति का संगठन

1-	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2-	मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य सचिव
3-	विभिन्न विकास विभागों के वरिष्ठतम अधिकारी या अभियन्ताओं में नामित अभियन्ता	सदस्य
4-	जिले के लीड बैंक के अधिकारी	सदस्य

समिति के कर्तव्य

1- जिले में चल रही संस्थागत वित्त पोषित योजनाओं हेतु संस्थागत वित्त का आयोजन करना।

2- राज्य सेक्टर एवं जिला सेक्टर की विभिन्न योजनाओं में परस्पर समन्वय एवं सामन्जस्य स्थापित करना, जिससे क्षेत्र विशेष के साधनों की पुनरावृत्ति न हो।

3- नवीन योजनाओं की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्तावों को प्रेषित करना।

मण्डलीय समिति

अन्तर्जनपदीय समन्वय, सफल कार्यान्वयन एवं आने वाली कठिनाईयों के निराकरण हेतु मण्डल स्तर पर मंत्रि-परिषद के सदस्य की अध्यक्षता में मण्डलीय समिति गठित है। इस समिति का संगठन एवं कर्तव्य निम्नवत है:-

समिति का संगठन

1-	मंत्रि-परिषद के सदस्य	अध्यक्ष
2-	आयुक्त	उपाध्यक्ष
3-	संयुक्त/उप विकास आयुक्त	सदस्य सचिव
4-	मण्डलीय उप निदेशक, अर्थ एवं संख्या	संयुक्त सचिव
5-	मण्डल के सभी जिलाधिकारी	सदस्य
6-	समस्त विकास विभागों/सरकारी उपक्रमों के क्षेत्रीय/मण्डलीय अधिकारी	सदस्य
7-	लीड बैंक/बैंकों के प्रतिनिधि	सदस्य

समिति के कर्तव्य

1- योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करना।

2- विभिन्न ऐजेन्सियों तथा विभागों को उनकी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिये समयबद्ध भूमिका अदा करने का उत्तरदायित्व सौंपना, उनकी योजनाओं की प्राथमिकता निर्धारित करना तथा उनके बीच समन्वय स्थापित करना।

3- विभिन्न विभागों की योजनाओं के लक्ष्यों तथा सेवायोजन क्षमता के सन्दर्भ में, उनकी कार्यपालन एवं उपलब्धियों का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण।

4- ऐसी अड़चनों के निवारण हेतु जिनमें शासन के आदेश अपेक्षित हो, सरकारी विभागों को समस्याओं से अवगत कराना।

योजनाओं का वर्गीकरण

विभिन्न विभागों के कार्यान्वयन एवं उनके नियोजन के आधार पर राज्य सेक्टर एवं जिला सेक्टर में विभक्त किया गया है। विभिन्न विभागों की ऐसी योजनाओं को अभिज्ञानित किया गया है, जिन्हे जिला सेक्टर से भलीं भांति वित्त पोषित कर, कार्यान्वित किया जा सकता है। प्रदेश में मोटे तौर पर समस्त

आयोजनागत योजनाओं का विभाजन राज्य सेक्टर और जिला सेक्टर में निम्नांकित आधार पर किया गया है :-

क- ऐसी योजनायें, जिसके लाभ एक जनपद विशेष तक सीमित नहीं है,उन्हें राज्य सेक्टर में और शेष योजनायें,जिसके लाभ जनपद विशेष तक ही सीमित है, जिला सेक्टर में रखी जाती है।

ख- ऐसी योजनायें जिनका नियोजन तथा कार्यान्वयन एवं उनके स्थान विशेष का चयन जनपद स्तर पर अपेक्षाकृत भली प्रकार हो सकता है ,उन्हें जिला सेक्टर में और वे योजनायें जिनका नियोजन तथा अथवा कार्यान्वयन राज्य स्तर से ही हो सकता है,उन्हें राज्य सेक्टर में रखा जाता है।

इस अनुक्रम में योजनाओं को वर्गीकृत करते समय इस बिन्दु पर भी विचार किया जाता है कि राज्य सेक्टर एवं जिला सेक्टर में कतिपय योजनाएं, जो वर्तमान में अनुयोगी हो अथवा एक ही प्रकार का लाभ प्राप्त करने के लिये अलग- अलग विभागों द्वारा अलग-अलग योजनाएं चलाई जा रहीं हों, जिन्हे पुनरावृत्ति के आधार पर समाप्त किया जा सकता है अथवा कतिपय योजनाओं को समय के साथ संशोधित करने की आवश्यकता हो। जीरो बेस बजटिंग के आधार पर विभिन्न योजनाओं पर विचार किये जाने के निर्णय के अनुक्रम में इस बिन्दु का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है।

परिव्यय आवंटन

विकेन्द्रित नियोजन प्रणाली के अन्तर्गत आयोजनागत परिव्यय को राज्य सेक्टर एवं जिला सेक्टर में क्रमशः 70 और 30 प्रतिशत के अनुपात में रखा जाता है। एक त्वरित अध्ययन के निष्कर्ष द्वारा यह ज्ञात हुआ है कि सम्पूर्ण आयोजनागत व्यय का लगभग 30 प्रतिशत अंश जिला सेक्टर की योजनाओं के लिये खर्च होता है। इसी आधार पर कुल परिव्यय का 30 प्रतिशत अंश जिला योजना परिव्यय के लिये निर्धारित किया जाता है।

परिव्यय आवंटन का मानक

जिलों को वर्तमान में जिला योजना हेतु परिव्यय का आवंटन जनसंख्या तथा पिछड़ेपन मानक के आधार पर आवंटित किया जाता है। परिव्यय आवंटन का

मानक निम्न प्रकार है:

	संकेतक	प्रतिशत अंश
1-	कुल जनसंख्या	50
2-	अनुसूचित जाति/जनजाति की जनसंख्या	5
3-	सीमान्त कृषको और भूमिहीन मजदूरों की संख्या	10
4-	पिछड़ापन	
	(क) कृषि	5
	(ख) उद्योग	5
	(ग) सड़क	5
	(घ) विद्युतीकृत ग्राम	5
	(ड.)अस्पतालों में शैय्याओ की संख्या	5
	(च) पेयजल अभावग्रस्त गांव	5
	योग :	95 *

* परिव्यय के शेष 5 प्रतिशत भाग को जनपदों की विशेष समस्याओं, उनके द्वारा जुटाये गये संसाधन अथवा शुरुआत में होने वाली असंगतियो को दूर करने के लिये आरक्षित किया जाता है।

* 5 प्रतिशत आरक्षित धनराशि में से 3 प्रतिशत धनराशि का वितरण विभिन्न जनपदों को उनके द्वारा संसाधनो में वृद्धि हेतु किये गये प्रयासों एवं राष्ट्रीय बचत की उपलब्धियों के आधार पर किया जाता है जिसका उपयोग वे अपनी जिला योजना के कार्यक्रमों के लिये कर सकते हैं, ताकि इस व्यवस्था से जनपदों में राष्ट्रीय बचत योजना के लिये अधिक प्रयास करने की प्रेरणा मिले और स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों के लिये अधिक धन प्राप्त किया जा सके। इस सुरक्षित धनराशि के आवंटन का आधार निम्नवत् रखा गया है:-

1- 50 प्रतिशत राष्ट्रीय बचत योजना में जमा शुद्ध धनराशि के अनुपात में सभी जनपदों को, तथा

2- शेष 50 प्रतिशत राष्ट्रीय बचत योजना में केवल शत-प्रतिशत अपने लक्ष्य पूरा करने वाले जनपदों में उनके द्वारा शुद्ध जमा धनराशि के अनुपात से ।

राष्ट्रीय बचत की उपलब्धियों के आधार पर परिव्यय आवंटन के लिए वही जनपद पात्र होते हैं, जिनके द्वारा जमा शुद्ध धनराशि में दीर्घकालीन शुद्ध जमा धनराशि का अनुपात 80 प्रतिशत अथवा उससे अधिक होता है।

* अल्प बचत की उपलब्धियों के आधार पर उपर्युक्त मापदण्ड को अपनाये जाने से शतप्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने वाले जनपदों में बड़ी धनराशि कुछ चयनित जनपदो को प्राप्त हो जाती है। इसे व्यवहारिक बनाने हेतु उपर्युक्त मापदण्ड को 50: 50 के स्थान पर 90: 10 अपनाया जा रहा है।

जिलों के अंशों के निर्धारण हेतु निम्न प्रक्रिया अपनायी जाती है।

(1) **कुल जनसंख्या (1981)**
इसमें प्रत्येक जिले की कुल जनसंख्या का सम्पूर्ण प्रदेश की ऐसी ही जनसंख्या के योग से प्रतिशत निकालकर 50 प्रतिशत विभाज्य परिव्यय आवंटित किया जाता है।

(2) **अनुसूचित जाति एवं जनजाति जनसंख्या-(1981)**
इस सूचकांक के अंतर्गत प्रत्येक जिले की कुल अनुसूचित जाति एवं जनजाति की जनसंख्या को सम्पूर्ण प्रदेश की कुल अनुसूचित जाति एवं जनजाति की जनसंख्या से प्रतिशत निकालकर, उसका 5 प्रतिशत भाग परिव्यय हेतु संगणित किया जाता है।

(3) **सीमान्त कृषक तथा कृषि श्रमिक मजदूर संख्या (1976-77)**
कुछ जिलों में उपरोक्त जनसंख्या अधिक है। अत: ऐसे जिलों को विभाज्य परिव्यय में से कुछ अधिक अंश देने हेतु प्रत्येक जिले की उपरोक्त जनसंख्या का सम्पूर्ण प्रदेश के लिये ऐसी ही जनसंख्या से प्रतिशत निकालकर उसके अनुसार कुल विभाज्य परिव्यय का 10 प्रतिशत भाग आवंटित किया जाता है।

(4) **कृषि उत्पादन में पिछड़ापन (1980-81)**
इस सूचकांक के लिये प्रत्येक जिले के शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल को, उस जिले के प्रति शुद्ध हे0 पर कुल कृषि उत्पादन मूल्य में विभाजित करके सभी जिलों की राशि का प्रतिशत निकाला गया । तत्पश्चात उसी के आधार पर कुल विभाज्य परिव्यय का 5 प्रतिशत अंश इस सूचकांक के अनुसार आवंटित किया जाता है।

(5) **औद्योगिक पिछड़ापन (1980-81)**
इन सूचकांक हेतु प्रत्येक जिले की कुल जनसंख्या को संबंधित जिले के प्रति व्यक्ति कुल औद्योगिक उत्पादन मूल्य से भाग देकर जो राशियां प्राप्त हुई उनका योग करके उससे प्रत्येक जिले का प्रतिशत निकाला गया और उसके अनुसार कुल विभाज्य परिव्यय का 5 प्रतिशत भाग जिलेवार आवंटित किया जाता है।

(6) **सड़कों का पिछड़ापन (मार्च,1982)**
सड़कों की कमी का सूचकांक आंकलित करने हेतु विभिन्न जिलों में प्रति

हजार वर्ग किलोमीटर पर उपलब्ध पक्की सड़कों की लम्बाई से जिले के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल को विभाजित किया गया है और इस प्रकार प्राप्त राशियों का सम्पूर्ण प्रदेश के लिये योग लगाकर उससे प्रत्येक जिले का प्रतिशत निकाला गया तथा उसके अनुसार कुल विभाज्य परिव्यय का 5 प्रतिशत भाग जिलेवार आवंटित किया जाता है।

(7) **ग्रामों के विद्युतीकरण में पिछड़ापन (मार्च, 1983)**

इस सूचकांक हेतु प्रत्येक जिले के कुल आबाद ग्रामों की संख्या में संबंधित जिले में विद्युतीकृत ग्रामों के प्रतिशत का भाग देकर जो राशियां आई, उनका सभी जिलों का योग निकाला गया और तत्पश्चात इस योग से प्रत्येक जिले की राशि का प्रतिशत निकालकर उसके अनुसार कुल विभाज्य परिव्यय का 5 प्रतिशत अंश का आवंटन किया जाता है।

(8) **अस्पतालों में शैय्याओं के संबंध में पिछड़ापन (1981-82)**

चिकित्सालयों/औषधालयों में उपलब्ध प्रति लाख जनसंख्या पर शैय्याओं के सूचकांक को प्राप्त करने के लिये विभिन्न जिलों में प्रति लाख जनसंख्या पर चिकित्सालयों/औषधालयों में उपलब्ध शैय्याओं की संख्या से जनपद की जनसंख्या को विभाजित करके जो राशियां प्राप्त हुयीं, उन सभी का योग निकालकर इस योग से जिलेवार प्रतिशत निकाला गया और उसके अनुसार कुल विभाज्य परिव्यय के 5 प्रतिशत अंश को जिलेवार आवंटित किया जाता है।

(9) **पेयजल अभावग्रस्त ग्राम (1981-82)**

इस सूचकांक हेतु प्रत्येक जिले के अभावग्रस्त ग्रामों की संख्या में सम्पूर्ण प्रदेश के कुल अभावग्रस्त ग्रामों के योग से प्रतिशत निकालकर, उसके आधार पर कुल विभाज्य परिव्यय के 5 प्रतिशत अंश को जिलेवार आवंटित किया जाता है।

विभागीय मार्ग निर्देश

सभी प्रशासकीय विभागों द्वारा विभागीय योजनाओं के संबंध में विस्तृत मार्ग-निर्देश जारी किया जाना आवश्यक है, ताकि जनपद स्तर पर स्थानीय संसाधनों एवं आवश्यकताओं को देखते हुए ऐसे कार्यक्रमों को अभिज्ञानित कर प्राथमिकता दी जाय, जिनमें धनराशि व्यय करने से अल्पावधि में त्वरित विकास की संभावनाएं प्रबल हो तथा गरीबी व बेराजगारी आदि की समस्याओं के निदान में सहायक हो। विभागीय मार्ग-निर्देशो में निम्न बिन्दुओं का समावेश आवश्यक होता है:

1- योजना के संबन्ध में विभागीय नीति, प्राथमिकतायें एवं लक्ष्य;

2- योजना के कार्यो का सक्षिप्त विवरण, स्वरुप तथा वित्तीय एवं भौतिक मानक;

3- केन्द्र पुरोनिधानित एवं संसाधनों से सम्बद्ध कार्यक्रमों की जिलावार वित्तीय आवश्यकता तथा योजना के बचनबद्ध व्यय तथा अवशेष निर्माण कार्यों की जनपदवार आवश्यकता।

4- नई प्रक्रिया के अधीन आवंटित कार्य एवं कर्मिकों का विवरण।

विकास योजना प्रारूप

स्थानीय स्तर पर विकास योजना संरचना से पूर्व जिले के विकास की प्रमुख प्रवृत्तियां, अन्तर्जनपदीय, अन्तर्विकास खण्डीय एवं अर्न्तग्रामीय विषमताओं तथा योजना के उद्देश्य एवं रणनीति के बारे में स्पष्ट अभिमत बनाकर उपलब्ध संसाधनों के अधीन रहते हुए विकास योजना की संरचना की जानी है। विकास योजना संरचना के कार्य को निम्न खण्डों/ अध्यायों में विभक्त किया गया जायेगा:-

1- संक्षिप्त परिचय

योजना पढ़ने मात्र से नियोजको एवं नीति निर्देशकों को क्षेत्र विशेष (जिला पंचायत/ नगर निगम/ नगर परिषद/ नगर पंचायत/ क्षेत्र पंचायत) के संबंध में जहां एक ओर आधार भूत आंकड़ों के आधार पूर्ण विवरण उपलब्ध हों वहीं विगत वर्षों में विकास में दृष्टिगत प्रमुख प्रवृत्तियों की जानकारी के साथ-साथ विकास में अवरोधक प्रमुख समस्याओं का भी अभिज्ञान होना आवश्यक है। इस खण्ड/ अध्याय में निम्न बिन्दुओं का समावेश किया जायेगा :-

(क) प्राकृतिक एवं भौगोलिक विशेषतायें
(ख) जनसंख्या आदि से संबंधित विवरण
(ग) आर्थिक कार्यकलाप
(घ) पूर्व में किये गये प्रयासों के आधार पर दृष्टिगोचर प्रवृत्तियां
(च) जिले के सर्वांगीण विकास के अवरोधक/ प्रमुख समस्यायें

2- विषमताएं

नियोजन प्रणाली का एक प्रमुख उद्देश्य विभिन्न जनपदों में और जनपदों के अन्दर विभिन्न विकास खण्डों में अथवा विभिन्न ग्रामों के मध्य विकास सुविधाओं में व्याप्त विषमताओं को दूर करना भी है। अत: स्थानीय स्तर पर जनपद / विकास खण्ड विशेष की अन्य जनपदों/ विकास खण्ड की तुलना में जो स्थिति उभर कर आती है उसके आधार पर उन बिन्दुओं को भी अभिज्ञानित किया जायेगा, जिसमें क्षेत्र विशेष की विकास की स्थिति अपेक्षाकृत कम रही है। साथ ही साथ जिला के विभिन्न विकास खण्डों के मध्य उनके वर्तमान विकास स्तर और उपलब्ध सेवाओं/ सुविधाओं के स्तर में व्याप्त विषमताओं का भी विश्लेषण किया जायेगा और विकास खण्डों

को इस प्रकार क्रमबद्ध किया जायेगा, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि कौन सा विकास खण्ड किस मद में पिछड़ा है। इसी प्रकार नगर पंचायत, नगर परिषद तथा नगर निगम द्वारा भी उपलब्ध सेवाओं/ विकास सुविधाओं के स्तर में व्याप्त विषमताओं का विश्लेषण किया जायेगा। इस प्रकार के विश्लेषण से जहां विकास योजनाओं के स्थल चयन एवं संतुलित विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी, वहीं परिव्यय आवंटन में ऐसे पिछड़े क्षेत्रों को वरीयता प्रदान की जायेगी।

3- जिला योजना के उद्देश्य रणनीति एवं प्राथमिकतायें

राष्ट्रीय एवं राज्य की योजना के मुख्य उद्देश्य एवं प्राथमिकतायें मोटे तौर पर निम्न तीन भागों में विभक्त की जा सकती है:-

(क) उत्पादन में वृद्धि
(ख) बेरोजगारी को दूर करना
(ग) गरीबी उन्मूलन
(घ) आर्थिक अवस्थापना सुविधाएं
(ड.) सामाजिक अवस्थापना सुविधाएं

उक्त उद्देश्यों के होते हुए भी प्रत्येक क्षेत्र विशेष की अपनी अलग-अलग समस्यायें होती हैं जिनका योजना के प्रथम खण्ड में उल्लेख किया गया है। इस प्रकार स्थानीय स्तर पर क्षेत्र विशेष के लिये उद्देश्यों का निर्धारण राष्ट्रीय एवं राज्य की योजना के उद्देश्यों एवं प्राथमिकताओं के परिपेक्ष्य में किया जायेगा। साथ ही साथ निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अपनायी जाने वाली रणनीति तथा प्राथमिकताओं का भी स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा।

4- विकास योजना का वित्त पोषण

जिस प्रकार देश अथवा प्रदेश का विकास केवल सरकारी क्षेत्र के निवेश पर निर्भर नहीं करता, अपितु अन्य श्रोतों से उपलब्ध होने वाले संसाधनों का भी महत्वपूर्ण योगदान है, उसी प्रकार स्थानीय स्तर पर भी विभिन्न श्रोतों से उपलब्ध होने वाले संसाधनों का आंकलन कर विकास कार्यों को चलाया जाना आवश्यक है। कम से कम स्थानीय स्तर पर विकास योजना के संसाधनों का निम्न प्रकार विवरण तैयार कर उपलब्ध कराया जायेगा:-

(क) स्थानीय संसाधनों का आंकलन
  1- स्वयं के संसाधन
  2- ग्राम् पंचायत/ क्षेत्र पंचायत/ जिला पंचायत/ नगर निगम/ नगर परिषद/ नगर पंचायत से उपलब्ध संसाधन (जैसी भी स्थिति हो)

3- निजी पूंजी से उपलब्ध संसाधन
4- सहकारी समितियों से उपलब्ध संसाधन
5- अन्य संसाधन

(ख) राज्य सेक्टर योजनाओं से जनपद को प्राप्त अंश/ संसाधन
(ग) केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित/केन्द्र पोषित योजनाओं से प्राप्त केन्द्रांश
(घ) वाह्य सहायतित संस्थाओं से प्राप्त अंश/ संसाधन
(च) जिला योजना के अधीन उपलब्ध परिव्यय

5- विकास कार्यों का समालोचनात्मक मूल्यांकन एवं प्रस्तावित कार्यक्रम

1- विकास कार्यो की समीक्षा

स्थानीय स्तर पर सर्वप्रथम कार्यान्वित किये जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा की जायेगी। यह समीक्षा न केवल वित्तीय पक्ष पर केन्द्रित होगी, बल्कि इसमें भौतिक पक्ष को भी वरीयता दी जायेगी, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि योजना विशेष के लिये निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में कहां तक सफलता प्राप्त हुई है और यदि आवश्यक हो तो विकास कार्यों के कार्यान्वयन में उस आधार पर परिवर्तन/परिशोधन किये जा सकें । साथ ही साथ समीक्षा से ऐसे कार्यक्रमों को भी अभिज्ञानित कर लिया जायेगा, जिनकी उपादेयता क्षेत्र विशेष के लिये नहीं है। इस समीक्षा में विशेष रुप से उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रस्तावित योजना का विकास योजना में समावेश करते समय निम्न दृष्टिकोण से अपना स्पष्ट मत व्यक्त करना आवश्यक होगा, ताकि योजना की उपयोगिता सुनिश्चित जा सकें।

1- क्या पूर्व में जो केन्द्र एवं राज्य के निर्देशक मूल सिद्धान्त है, उनकी पूर्वताओं का दृढतापूर्वक पालन किया गया है?
2- किसी योजना विशेष के अधीन निर्धारित लक्ष्य दूसरे परस्पर योजनाओं के लक्ष्य के साथ तालमेल रखते हैं
3- पूर्व अवास्थापनाओं द्वारा उपलब्ध अनुपयुक्त क्षमताओं का पूरा उपयोग करने की कोशिश की गयी है।
4- विभिन्न क्षेत्रों/पिछड़े वर्गों के विशिष्ट हितों/आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया है।
5- योजना विशेष के लिये प्रस्तावित परिव्यय तथा भौतिक लक्ष्य क्या विवेकपूर्ण तथा व्यवहारिक है ?
6- योजनाओ के संबंध में अनुश्रवण (मानीटरिंग) की क्या व्यवस्था है?
7- योजनाओ के सम्पादन की रणनीति तथा प्रक्रिया स्पष्ट निर्धारित है।
8- क्या प्रश्नगत योजना में राज्य स्तरीय अन्य योजनाओं की पुनरावृति तो नहीं हो रही है ? क्या उनमें अनुपूरक (complimentarity) का ध्यान रखा गया है ?

9- क्या कार्मिक आवश्यकताओं (Personnel Requirements) का आगणन करते समय पूर्व उपलब्ध कर्मचारियों का उपयोग किया गया है ?

6- **राज्य की पूर्वताएं**

नि:सन्देह इस नवीन प्रणाली को राज्य में कार्यान्वित करने के साथ ही क्षेत्रीय स्थानीय आकांक्षाओं को साकार करने और स्थानीय पहलशक्ति, सम्भाव्य क्षमता, योग्यता तथा संसाधनों से अनुकूलतम लाभ उठाने के लिये स्वतंत्रता दी गयी है फिर भी राष्ट्रीय एवं राज्य की पूर्वताओं के परिप्रेक्ष्य में विकास योजनाओं को अंगीकृत करना आवश्यक है। यह पूर्वताएं निम्नलिखित है:-

1- खाद्यान्न एवं उत्पादन में वृद्धि
2- कृषि पर निर्भर लोगों के लिये ऐसे पूरक व्यवसाय और उत्पादन कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना, जिनसे उनकी आय मे वृद्धि हो सके
3- ऐसे उपाय करना जिससे गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवार की आय में वृद्धि हो सके और वे गरीबी की रेखा से ऊपर आ सकें
4- लघु एवं कुटीर उद्योगों मे कार्यरत कारीगरों की उत्पादकता और आय में वृद्धि करना
5- निर्धन एवं पिछड़े वर्गों के लोगों की आधार भूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के निमित्त सुविधायें प्रदान करना, जिससे उनके रहन सहन का स्तर ऊंचा हो सके ।
6- आर्थिक अवस्थापना सुविधाओं यथा ऊर्जा(विद्युत), सिंचाई, सडक एवं पुल आदि का त्वरित विकास
7- सामाजिक अवस्थापना सुविधाओं यथा चिकित्सा, शिक्षा, पेयजल आदि में गुणत्मक सुधार एवं विस्तार

7- **परिव्यय आवंटन हेतु वरियता क्रम**

स्थानीय स्तर पर विकास योजनाओं की संरचना के समय सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न विभिन्न कार्यक्रमों के लिये परिव्यय के निर्धारण/ आवंटन का है। किस कार्यक्रम को किस सीमा तक परिव्यय उपलब्ध कराया जाय? विभिन्न विभागीय कार्यक्रमों हेतु संबन्धित विभाग का यह प्रयास रहता है कि उनके कार्यक्रमों के लिये परिव्यय का अधिक से अधिक भाग उपलब्ध हो । विभागों का यह प्रयास स्वाभाविक है, क्योंकि विभागीय कार्यक्रमों के संचालन एवं विस्तार का उत्तरदायित्व संबन्धित विभाग का ही है। स्थानीय

स्तर पर सीमित संसाधनों को देखते हुए, क्षेत्र विशेष की प्राथमिकता के आधार पर परिव्यय का विभाजन संतुलित दृष्टिकोण से किया जाना आवश्यक है, ताकि राष्ट्रीय एवं प्रदेश की पूर्वताओं एवं उद्देश्यों की पूर्ति संभव हो सके। अतः क्षेत्र विशेष की पूर्वताओं/स्थानीय आवश्यकताओं के अनुक्रम में विभिन्न विभागों की योजनाओं /कार्यक्रमों हेतु परिव्यय उपलब्ध कराने हेतु निम्न-कोटिक्रम को अपनाया जायेगाः

1. चालू कार्यक्रमों/परियोजनाओं के लिए आगामी वर्ष का अनुमानित व्यय
2. चालू कार्यक्रमों/योजनाओं में अपरिहार्य विस्तार तथा उस पर होने वाला व्यय
3. केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं अथवा ऐसी अन्य वाहय सहायतित योजनाओं में प्राप्त होने वाले अंश को सुनिश्चित करने आवश्यक परिव्यय।
4. नए कार्यक्रम/योजनाएं तथा उन पर अनुमानित व्यय।

इसके अतिरिक्त उन कार्यक्रमों/परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जायेगी, जिनसे विकासात्मक असंतुलन समाप्त हो सकें। विकास योजना में उसी सीमा तक नए कार्यक्रम अथवा योजनाओं के लिये प्राविधान किया जा सकता है जिस सीमा तक उपर्युक्त प्राथमिकता 1, 2 व 3 की प्रतिपूर्ति करने के बाद परिव्यय/ संसाधन अवशेष रहता है।

इस प्रकार प्रथम तीन के लिये प्राविधान करना अनिवार्य है। व्यावहारिक रुप से जनपद विशेष को आवंटित परिव्यय प्रथम तीन मदों के लिए भी पर्याप्त नहीं होता है उस दशा में जहां नये कार्यक्रमों के लिए प्राविधान करने का प्रश्न नहीं उठता वहीं प्रथम तीन मदों की आवश्यकताओं का भी गहन परीक्षण किया जाना चाहिए। प्रथम तीन मदों के लिए परिव्यय आवंटित करते समय यह ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि जिन चालू कार्यक्रमों में नवीन कार्य/नवीन सुविधायें प्रस्तावित की जाती हैं, उन्हें चालू कार्यक्रम का अंश न माना जाय। उदाहरण के तौर पर ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में मिश्रित जूनियर बेसिक स्कूल खोला जाना एक चालू योजना है। इस योजना में जो स्कूल पूर्व वर्षों में खोले जा चुके है, उन पर होने वाले व्यय ही चालू योजना का अंश होगा । हालांकि नये स्कूल भी इसी योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित होंगे, परन्तु नये स्कूलों को यदि चालू अंश के समक्ष आंकलित किया जाता है तो प्रथम तीन मदों के लिए भी पर्याप्त धनराशि उपलब्ध नहीं हो पायेगी।

8- **प्रतिबन्ध**

विकास योजना तैयार करते समय निम्न प्रतिबन्ध रहेगें, जिनका विशेष रूप से ध्यान रखा जाना आवश्यक है:

1. कोई भी नया अनुदान या ऋण राज्य सरकार की व्यवस्थित स्वीकृत दरों पर ही प्रस्तावित किया जायेगा।
2. किसी चालू कार्यक्रम/योजना क्षेत्र विशेष हेतु उपादेय न समझे जाने पर उसके भौलिक रुप में संशोधन करना अथवा उसका प्राविधान समाप्त किये जाने का अन्ततः अधिकार जिला योजना समिति को है। परन्तु ऐसे कार्यक्रमों के लिए स्पष्ट रुप से जहां विकास योजना विस्तृत उल्लेख किया जाना चाहिए, वहीं राज्य सरकार/ संबन्धित विभाग को भी स्पष्ट अनुसंशा भेजकर अवगत कराना आवश्यक है कि किन परिस्थितियों में उसके मौलिक रुप में परिवर्तन किया गया है अथवा उसे जनपद के लिये उपादेय नहीं समझा गया।
3. क्षेत्र विशेष में चल रही विकास योजनाओं/ कार्यक्रमों में कार्यरत स्टाफ आदि के लिये बचनबद्ध व्यय की व्यवस्था करना आवश्यक है। भले ही उस कार्य के लिए उस योजना विशेष को कार्यान्वित न किये जाने का निर्णय ले लिया जाय।

9- **नवीन कार्य**

विकास योजना में नए कार्यक्रमों को प्रस्तावित करते समय निम्न तथ्यों का उल्लेख किया जाना आवश्यक है:-

क- लक्ष्य
ख- परिकल्पित क्रियाकलाप
ग- वित्तीय, भौतिक एवं कार्मिकों के रुप में निवेश
घ- वर्षवार भौतिक लक्ष्य
ड.- निजी तथा संस्थागत संसाधनों की मात्रा जिसके उपलब्ध होने की सम्भावना है।
च- योजना सम्पादन की रणनीति
छ- दूसरी योजनाओं के साथ उसका सामन्जस्य
ज- योजना में आवश्यक संशोधन/ अनुश्रवण (On the basis of feedback)
झ- योजना का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण

10- विकासात्मक आवश्यकताएं
11- विकासात्मक समस्याएं
12- नक्शे एवं चार्ट

अन्य सामान्य मार्ग निर्देश

1- **वचनबद्ध व्यय** - दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में आयोजनागत पक्ष में सम्पादित विकास कार्यो के वचनबद्ध व्यय, संचालन व्यय, सृजित परिसंपत्तियों का रखरखाव आदि को वहन करने के लिये आयोजनागत पक्ष में व्यवस्था की जायेगी। दसवीं योजना अवधि से पूर्व के विकास कार्यों हेतु आयोजनेत्तर पक्ष से आवश्यक धनराशि उपलब्ध होगी और ऐसी मदों के लिये जिला योजना में परिव्यय की व्यवस्था नही की जायेगी।

2- **वित्तीय संसाधन** - प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुये, विकास कार्यो हेतु विभिन्न स्रोतों से आवश्यक संसाधन प्राप्त किये आवश्यक ही नही अपरिहार्य भी हैं। उल्लेखनीय है कि देश अथवा प्रदेश का विकास केवल सरकारी क्षेत्र के निवेश पर निर्भर नहीं करता, अपितु अन्य स्रोतों से उपलब्ध होने वाले संसाधनों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। जिला स्तर पर विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध होने वाले संसाधनों का आंकलन कर उनका दोहन एवं डवटेलिंग के माध्यम से उनका अनुकूलतम उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिये।

3- **विकास कार्यो की समीक्षा** - जिला योजना की संरचना करते समय विभिन्न विकास कार्यो का इस दृष्टिकोण से विवेचना की जाये कि अभी तक योजना विशेष में किये गये विनियोग से उसके उददेश्यों को किस सीमा तक प्राप्त किया जा सका है। विवचना के आधार पर विकास कार्यो के कार्यान्वयन की रणनीति में भी यथा आवश्यक परिवर्तन किया जाना चाहिये। कतिपय योजनाओं में पिछले कई वर्षों से परिव्यय आवंटित किये जाने के उपरान्त भी उनका कार्यान्वयन प्रारम्भ नहीं हो सका।

4- **अपूर्ण कार्यो को प्राथमिकता** - कतिपय विकास कार्यों में पूर्व में पर्याप्त विनियोजन किया जा चुका है किन्तु ऐसे कार्यों के अधूरे होने के कारण अथवा इन कार्यों से जुड़े हुए अन्य कार्यों के अभाव में या तो लाभ नहीं मिल रहा है,अथवा अपेक्षित मात्रा में अधिष्ठापित क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं हो पा रहा है। अत: ऐसी पूर्व विनियोजित धनराशि से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिये सर्वोच्च प्राथमिकता पर परिव्यय का प्राविधान किया जाय।

5- **केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के लिए राज्यांश की व्यवस्था** - प्रदेश में चलायी जा रही केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं में से जिला सेक्टर में वर्गीकृत योजनाओं के लिये आवश्यक राज्यांश के समतुल्य परिव्यय का आवंटन प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाये। यथेष्ट प्राविधान

न किये जाने पर, जहाँ प्राप्त होने वाली केन्द्रीय सहायता में कमी होगी, वहीं जिला योजनाओं में परिवर्तन करना अपरिहार्य हो जाता है।

6- **दीर्घ कालीन कार्यों को चरणबद्ध (Phasing) किया जाना** - कतिपय योजनाएं विभिन्न चरणों में पूरी की जाती है। ऐसी योजनाओं के लिए वर्षवार फाँट तैयार कर परिव्यय प्रस्तावित किया जाय। यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि ऐसी योजनाओं मे प्रथम वर्ष लागत का 40 प्रतिशत परिव्यय उपलब्ध हो जाय और योजना अधिकतम तीन वर्षो में प्रत्येक दशा में पूर्ण कर ली जाय।

7- **आवश्यक व्यय की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना** - प्राय: कतिपय योजना विशेष के लिए या तो धनराशि प्रस्तावित नहीं की जाती है अथवा आंशिक रुप से प्रस्तावित की जाती है। कतिपय कार्यक्रम तो ऐसे भी होते हैं जिनके लिए आवश्यक बचनबद्ध व्यय को वहन करने के लिए भी जिला योजनाओं में व्यवस्था नहीं की जाती है। इस तरह की विसंगति पर अंकुश रखना अनिवार्य है। अत: विभागीय जिलास्तरीय अधिकारियों से उनकी योजनाओं के लिए आवश्यक व्यय की व्यवस्था जिला योजना में कर लिये जाने की पुष्टि अवश्य करा ली जाये ताकि विकास कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

8- **प्रस्तावित विकास कार्यो का स्थल चयन** - जिला योजनाओं में प्रस्तावित विकास कार्यों के स्थल चयन आदि के बारे में समय से निर्णय लिये जाने से जहां विकास कार्यों के कार्यान्वयन में होने वाले विलम्ब से बचा जा सकता है वहीं, जिला योजनाओं की सार्थकता सिद्ध करने के लिए आवश्यक है कि आवंटित होने वाले परिव्यय के अनुरूप यथासमय धनराशि अवमुक्त हो सके। अत: सभी विकास कार्यक्रमों के संबंध में स्थल चयन, आगणन आदि के बारे में जिला स्तर पर जिला योजना के अनुमोदन के साथ ही निर्णय हो जाय।

9- **क्षेत्रीय विषमताओं का निराकरण** - विकेन्द्रित नियोजन का एक प्रमुख उद्देश्य विभिन्न जनपदों में और जनपदों के अन्दर विभिन्न विकास खण्डों में व्याप्त विषमताओं को दूर करना भी है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु जिला स्तर पर जनपद विशेष की अन्य जनपदों की तुलना में जो स्थिति उभर कर आती है उसके आधार पर उन कारणों को भी अभिज्ञानित किया जाये, जिसमें जनपद विशेष की विकास की स्थिति अपेक्षाकृत कम रही है। साथ ही साथ जिले के विभिन्न विकास खण्डों के मध्य उनके वर्तमान विकास स्तर और उपलब्ध सेवाओं/ सुविधाओं के स्तर में व्याप्त विषमताओं का भी विश्लेषण किया जाये, और विकास खण्डों को इस प्रकार क्रमबद्ध किया

जाये जिससे यह स्पष्ट हो सके की कौन सा विकास खण्ड किस मद में पिछड़ा है। परिव्यय एवं विकास सुविधाओं के आवंटन में ऐसे पिछड़े विकास खण्डों को वरीयता प्रदान की जाये।

10- **निर्माण एजेन्सी का चयन एवं पद** - भवनों के निर्माण कार्यों के लिये पहले से ही निर्माण एजेन्सी भी निर्धारित की जाय ताकि संबंधित एजेन्सी द्वारा निर्माण कार्यों को सम्पादित करने की यथासमय व्यवस्था हो सके। निर्माण एजेन्सी का चयन करते समय प्रतिस्पर्धा से निर्माण कार्यों में गुणात्मक सुधार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। वर्तमान अधिष्ठान से ही योजनाओं के कार्यान्वयन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। अतिरिक्त पदों के सृजन का प्रस्ताव केवल विशेष परिस्थितियों में किया जाय, जहां पर परियोजनाओं का अंग हो और जनपद में उपलब्ध विभागीय अधिष्ठान से योजनाओं का कार्यान्वयन सम्भव न हो।

11- **संसाधनों से सम्बद्ध कार्यक्रमों के लिये समुचित प्राविधान** - कतिपय कार्यक्रम ऐसे है जिनके परिव्यय संसाधनों से सम्बद्ध रहता है। यदि ऐसे कार्यक्रमों के लिये कम प्राविधान किया जाता है तो परिव्यय में उस सीमा तक स्वत: ही कमी हो जाती है। इसलिये यह आवश्यक है कि ऐसे कार्यक्रमों के लिये पर्याप्त परिव्यय की व्यवस्था की जाये।

12- **विभिन्न कार्यक्रमों का विशिष्ट कार्यक्रमों/ योजनाओं से अभिसरण के आधार पर वित्त पोषण**- प्रदेश के सीमित संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुये जिला स्तर पर विभिन्न विकास कार्यो के लिये किस सीमा तक संसाधन उपलब्ध हो सकते है। सर्व प्रथम उनका आंकलन किया जाना आवश्यक है। विकास कार्यों का कार्यान्वयन जन सहयोग के माध्यम से किये जाने पर स्थानीय स्तर पर अतिरिक्त संसाधनों को जुटाया जा सकता है, भले ही वह श्रम के रूप में क्यों न हो। इस प्रक्रिया से जहां विकास कार्यों की ग्राहयता बढ़ेगी, वहीं जन सामान्य में इनके प्रति अपनेपन का भाव जागृत होगा, जो परिसम्पत्तियों के रख-रखाव में सहायक होगा। इस प्रकार सभी कार्यों हेतु अभिसरण के माध्यम से विकास कार्यों हेतु संसाधन जुटाने और कार्यान्वयन की व्यवस्था की जाये। अतः जिन योजनाओं में अभिसरण की संभावनाएं है, उन सभी योजनाओं में अभिसरण के माध्यम से उपलब्ध धनराशि का विवरण यथास्थान इंगित करते हुए, समग्र सूचना जिला योजना में समाहित की जाये।

13- **सृजित परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण** - विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों का समय से उनके मूल विभाग को हस्तांतरण होना आवश्यक है, ताकि उनके रखरखाव की समुचित व्यवस्था हो सके। राज्य

स्तर पर अनेक ऐसे प्रकरण संज्ञान में आये है, जहां निर्मित भवन अथवा सृजित परिसम्पत्तियों कई वर्षो तक हस्तांतरित नही किये गये है, यह प्रक्रिया उचित नही है। अतः जिला योजना की संरचना के समय इस बिन्दु की विशेष रूप से समीक्षा की जाये और एक निश्चित अवधि में ऐसी सृजित परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण सुनिश्चित किया जाये।

14- **स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान/ट्राइबल सब-प्लान** - नियोजन प्रक्रिया के माध्यम से आर्थिक रुप से पिछड़ी हुई, अनुसूचित जाति एवं जनजाति की जनसंख्या को राज्य की कुल जनसंख्या में इनके प्रतिशत अंश के अनुरुप लाभान्वित करने के निर्णय को दृष्टिगत रखते हुये योजनावार परिव्यय का निर्धारण किया जाना है। इसप्रकार सेक्टरवार परिव्यय में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान व ट्राइबल सब प्लान हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को उपलब्ध होने वाले लाभ को देखते हुए, इन उपयोजनाओं हेतु परिव्यय पृथक-पृथक इंगित किया जाना है।

मुख्य रुप से जिला योजना से वित्त पोषित कार्यक्रमों के परिव्यय विभाज्य श्रेणी में आते हैं इसलिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान/ ट्राइबल सबप्लान हेतु मात्राकरण किये जाने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि यह कोई बाध्यता नहीं है कि प्रत्येक सेक्टर/ कार्यक्रम विशेष में 21 प्रतिशत अथवा 0.2 प्रतिशत मात्राकरण प्रस्तावित किया जाय। यहां यह उल्लेखनीय है कि जिला सेक्टर एवं राज्य सेक्टर की योजनाओं को सम्मिलित करते हुये कुल परिव्यय का अनुसूचित जाति/जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान एवं ट्राइबल सब-प्लान हेतु मात्राकरण किया जाना है।

स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान एवं ट्राइबल सब-प्लान हेतु मात्राकरण के लिए निम्नानुसार मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं-

1- वर्तमान चालू योजनाओं में यदि किसी योजना से शत-प्रतिशत लाभ उक्त वर्ग के लाभार्थियों को मिलता है तो ऐसी योजनाओं को सम्मिलित करते हुए शत-प्रतिशत स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान में सम्मिलित माना जायेगा।

2- अम्बेडकर ग्रामों में अवस्थापना सुविधा हेतु जो धनराशि व्यय की जायेगी, उसकी 50 प्रतिशत धनराशि स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान व ट्राइबल सब-प्लान में सम्मिलित मानी जायेगी।

3- अनुसूचति जाति/जनजाति बस्तियों के विकास हेतु अवस्थापना सम्बन्धी सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए व्यय धनराशि को शत-प्रतिशत स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान व ट्राइबल सब-प्लान में सम्मिलित माना जायेगा।

4- सामान्य योजनायें जिसमें अनुसूचित जाति/जनजाति उत्थान के बारे में विशेष बल या अतिरिक्त प्रावधान नहीं है या सीधे रूप से इन्हें लाभान्वित नहीं करती हैं तो इन योजनाओं के परिव्यय को स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान व ट्राइबल सब-प्लान में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

5- किसी अन्य सामान्य योजना में यदि अनुसूचित जाति व जनजाति की 21 प्रतिशत जनसंख्या से अधिक प्रतिशत में इस वर्ग के लोगों को लाभान्वित किया जाता है तो जनसंख्या के प्रतिशत से अतिरिक्त धनराशि को भी स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान व ट्राइबल सब-प्लान में सम्मिलित माना जायेगा। योजनाओं का अनुमोदन करते समय इस बात का परीक्षण किया जायेगा कि योजनायें मानक के अन्तर्गत आच्छादित होती हैं।

उपर्युक्त के सम्बंध में स्पष्ट करना है कि स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान व ट्राइबल सब-प्लान के अन्तर्गत चयनित अधिकांश योजनायें/कार्यक्रमों का सीधा लाभ लाभार्थियों को प्राप्त होगा। इसलिए 80 प्रतिशत से अधिक अंश जिला योजना से सम्बंधित होगा।

15- **अम्बेडकर/ समग्र ग्राम्य विकास योजना** - प्रदेश के गांवों का सर्वांगीण एवं बहुआयामी विकास सुनिश्चित करने हेतु समग्र गाम्य विकास योजना लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत चयनित मदों यथा स्वच्छ पेयजल, इन्दिरा आवास, स्वच्छ शौचालय निर्माण, सम्पर्क मार्ग निर्माण, ग्रामों का विद्युतीकरण, नालियों एवं खड़ण्जों का निर्माण, प्राइमरी पाठशाला की स्थापना/भवन निर्माण,स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना,निःशुल्क बोरिंग,वृद्धावस्था पेन्शन, विधवा पेन्शन, उच्च प्राथमिक पाठशाला की स्थापना/भवन निर्माण, कृषि भूमि, सीलिंग से सरप्लस भूमि आवास स्थल, मछली पालन स्थल तथा कुम्हारी कला हेतु स्थल का आवंटन तथा पटटे पर दी गई भूमि के कब्जे का सत्यापन, विकलांग पेन्शन तथा उपकरण सहायता, परिवार कल्याण, टीकाकरण में चयनित गावों को संतृप्त किया जायेगा। इस योजना के अन्तर्गत जिला स्तर पर चयनित गावों के संतृप्तीकरण की समीक्षा कर, जिस मद में भी चयनित गांवों को संतृप्त करने हेतु अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता हो उसके आधार पर आवश्यक धनराशि की व्यवस्था जिला योजना में कर ली जाये। इन गांवों में जिला योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न विभागों द्वारा जो सुविधायें उपलब्ध करानी हैं, उन्हें उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त परिव्यय रखा जाये।